

कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर

(1)

फोन नं० 0291.2541207 ए.डपस रु. चक्रजंकरवक / तमकपाडिपसण्ववउ


क्रमांक/आत्मा/जोधपुर/लेखा/निविदा/2018-19/232-35

दिनांक :- 17.05.18

खुली बोली निविदा सूचना संख्या 02/18-19

कृषि आयुक्तालय के पत्रांक 832-980 दिनांक 08.05.18 में दिये गये दिशा-निर्देशों की पालना में आत्मा गतिविधियों के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत भ्रमण व कृषि मेले में कृषको लाने-ले जाने के कार्य हेतु जोधपुर मुख्यालय तक एवं जिले की प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय से रवाना होकर कृषको को सम्मिलित करते हुए भ्रमण पश्चात् सम्बन्धित पंचायत समिति मुख्यालय पर कृषको को पहुंचाने हेतु (3x2) 52 सीटर सेमी डीलक्स बस किराये पर लेने हेतु निजी वाहन मालिकों / ट्रेवल एजेंसी व अन्य वाहन किराये पर उपलब्ध कराने वाली फर्मों से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा फार्म कार्य दिवस में कार्यालय समय में दिनांक 31.05.18 तक प्राप्त की जा सकती है तथा भरी हुई प्राप्त निविदाएं दिनांक 1.06.18 को 3.00 बजे उपस्थित निविदाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। उक्त निविदा को <http://sppp.rajasthan.gov.in> पोर्टल व कृषि विभागीय साईट www.krishi.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

कार्य का विवरण	अनुमानित व्यय	बयाना राशि / धरोहर राशि 2 प्रतिशत	निविदा फार्म शुल्क (अप्रतिदेय)
कृषको को भ्रमण एवं किसान मेले में लाने व पुनः छोड़ने के कार्य हेतु परिवहन व्यवस्था।	3.50 लाख	7000 (सात हजार मात्र)	400 (चार सौ मात्र)


(हरीश मेहरा)

उप निदेशक कृषि एवं पदेन
परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर

दिनांक :- 17.05.18

क्रमांक/आत्मा/जोधपुर/लेखा/निविदा/2018-19/232-35

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान सयुक्त निदेशक कृषि खण्ड जोधपुर।
2. श्रीमान सहायक कम्प्युटर प्रोग्रामर कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय साईट www.krishi.rajasthan.gov.in पर उक्त निविदा अपलोड करावे।।
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
4. लेखा शाखा / भंडार पाल कार्यालय हाजा।


(हरीश मेहरा)

उप निदेशक कृषि एवं पदेन
परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर

फोन नं 0291-2541207 E-Mail :- pdatma_jod@rediffmail.com

निविदा फार्म शुल्क - 400

नकद/बैंकर चैक/डीडी संख्या

दिनांक

जारी दिनांक

निविदा प्रारूप

1.	कार्यालय का नाम	उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा" जोधपुर
2.	निविदा सूचना संख्या	क्रमांक/आत्मा/जोधपुर/लेखा/निविदा/2018-19/ 232-35 दिनांक :- 17.05.18
3.	धरोहर राशि/धरोहर	रु 7000/- बैंकर चैक /डीडी संख्यादिनांक.....
4.	संलग्न दस्तावेज	1. पैन कार्ड की फोटो प्रति 2. टीन नं. की फोटो प्रति 3. जी.एस.टी. प्रमाण पत्र की फोटो प्रति 4. कर चुकता प्रमाण पत्र
5.	निविदा प्रस्तुत करने वाली का नाम व पूर्ण पता	निविदा दाता /व्यक्ति /फर्म का नाम टेलीफोन नं.मोबाईल नं.....पैन नं.....
6.	अनुबंध अवधी	वित्तिय वर्ष 2018-19 में जब भी आवश्यकता होने के आधार पर दिनांक 31.03.18 तक वैध है।
7.	निविदा प्राप्त एवं खोलने की दिनांक व समय	दिनांक 31.5.18 तक प्राप्त निविदायें दिनांक 1.06.18 को दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी
8.	कार्य का विवरण	आत्मा गतिविधियों के अन्तर्गत भ्रमण, अन्तरराज्य व अन्तरराज्य भ्रमण हेतु जोधपुर मुख्यालय एवं जिले की पंचायत समिति स्तर से रवाना होकर कृषकों को सम्मिलित करतें हुए भ्रमण पश्चात् कृषकों को पहुचाने हेतु (3x2) 52 सीटर सेमी डीलक्स बस किराये पर लेने हेतु।
9.	प्रस्तावित दर	वाहन (सेमी डीलक्स बस) किराये हेतु प्रस्तावित दरे समस्त करो(वैट,टैक्स, जी.एस.टी. आदि)एव समस्त व्यय (डीजल ,ऑयल टोल टैक्स आदि) सहित प्रति किमी
10.	(3*2) 52 सीटर सेमी डीलक्स बस	प्रस्तावित दर प्रति किलोमीटर
		राज्य में (कर सहित) राज्य के बाहर (कर सहित)

मैने /हमने उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर द्वारा गठित उपापन समिति द्वारा जारी की गई निविदा की समस्त शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया लिया है तथा मुझे/हमे निविदा की समस्त शर्तें मंजूर है व उनके सभी पृष्ठों पर उल्लेखित शर्तों को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किया जाता है ।

निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर

कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर

फोन नं० 0291-2541207 E-Mail :- pdatma_jod@rediffmail.com

निविदा की शर्तें

कार्यालय द्वारा वर्ष 2018-2019 में आत्मा योजनान्तर्गत आयोजित प्रशिक्षणों में एव अन्तर्राज्यीय /राज्य भ्रमण हेतु किराये पर वाहन बस उपलब्ध कराने हेतु निविदा संख्या 02/2018-19 की शर्तें -

1. इच्छुक निविदादाता द्वारा निविदा में दिये गये निदेशों के अनुसार मुहरबंद लिफाफे में निविदा प्रस्तुत की जावेगी जिस पर कृषक भ्रमण हेतु सेमी डिलक्स बस किराये पर उपलब्ध कराने हेतु निविदा लिखकर ही प्रस्तुत करे। निविदा खुली होने पर तथा कांट छट होने स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. वाहन की दरे समस्त कर सहित (वाहन का कर, वैट, सेवा कर, जी.एस.टी. इत्यादि) एव समस्त व्यय टोल टैक्स डिजल व्यय आदि सहित समलित करते हुए प्रति किमी दर प्रस्तुत करे। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. निविदा के साथ निर्धारित बयाना/धरोहर राशि 7000/- का बैंकर चैक /डीडी तथा आवश्यक दस्तावेज पैन कार्ड फोटो प्रति, टीन नं फोटो प्रति, जी. एस. टी. प्रमाण पत्र फोटो प्रति आदि संलग्न होने पर ही निविदा स्वीकार की जावेगी, किसी भी प्रकार की कमी होने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।
4. निविदा स्वीकार होने के पश्चात सात दिवस या जो समय निर्धारित किया जावे के नियमानुसार धरोहर राशि जमा नहीं कराने एव निर्धारित करार नहीं करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. नियमानुसार लागू पंजीयन एव मुद्रांक विभाग द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क जो निविदा की राशि पर देय है का भुगतान निविदादाता को चुकाना होगा।
6. निविदा स्वीकार होने के पश्चात निर्धारित सात दिवस या जो समय निर्धारित किया जावे के नियमानुसार पांच प्रतिशत की दर से राशि 17500 जमा करानी होगी जो कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर एव फर्म द्वारा समस्त बकाया कर (वैट एव सेवा कर, जी.एस.टी.) आदि जमा के चालान प्रस्तुत करने पर एव कोई राशि बकाया नहीं होने के पश्चात कार्यालय द्वारा पूर्ण संतुष्ट होने पर लौटाई जावेगी। निविदा स्वीकार होने के पश्चात नियमानुसार (पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के आदेश अनुसार 0.25 प्रतिशत) 875 रुपये के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पर करार कर नोटेरी द्वारा प्रमाणित करवा कर प्रस्तुत करना होगा। इसके प्रस्तुत करने के पश्चात ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा। इस पर व्यय समस्त खर्च का भुगतान निविदादाता का होगा। कार्यालय द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
7. कार्य आदेश जारी करने के पश्चात निविदादाता द्वारा कार्य नहीं करने पर जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
8. नियमानुसार देय भुगतान में से नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी।
9. आयकर के अलावा देय समस्त कर लागू होने या नहीं होने की स्थिति में भुगतान निविदादाता को ही करना होगा। जिसमें देय नियमानुसार वैट का भुगतान एव सेवा कर का भुगतान निविदादाता को ही करना होगा विभाग द्वारा इसका भुगतान नहीं किया जावेगा।

10. निविदादाता को भुगतान करने से पूर्व भुगतान पर देय वैट की राशि एवं देय सेवा कर की राशि संबंधित विभाग में जमा करा कर चालान प्रति प्रस्तुत करनी होगी उसके पश्चात ही देय भुगतान निविदादाता को किया जावेगा । आप द्वारा देय वैट राशि, जी.एस.टी. एवं सेवा कर राशि जमा नहीं कराने पर एव बकाया राशि होने पर नियमानुसार जमा धरोहर राशि में से काटी जाकर संबंधित विभाग में जमा करायी जावेगी । जिसके लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा ।
11. निविदादाता को निविदा से समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है तथा शर्तों एवं समझौते पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर आवश्यक है । इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
12. वाहन पर होने वाले समस्त व्यय डीजल/ऑयल एवं वाहन रिपेयर मरम्मत एवं चालक आदि का व्यय निविदादाता का होगा ।
13. निविदादाता को इस हेतु कोई अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा ।
14. प्रस्तुत दरे वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए (दिनांक 31.3.2019 तक के लिए ही) मान्य होगी इस अवधि को आपसी सहमति से ही बढ़ाया जा सकेगा ।
15. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकृत/निरस्त करने व निविदा शर्तों में संशोधन का अधिकार निविदा कर्य समिति के पास सुरक्षित होगा ।
16. निविदादाता अपनी निविदा/संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को सब लेट नहीं करेगा ।
17. निविदा में दर्शाये गये कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है ।
18. वाहन पांच वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो एवं सीटें सही आरामदायक होनी चाहिए ।
19. यात्रा के दौरान वाहन की मरम्मत/नुकसान/चालान आदि होने पर इनका का व्यय वाहन मालिक द्वारा वहन किया जावेगा । यात्रा के दौरान वाहन चालक के खर्चे रात्रि विश्राम व अन्य कर के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा
20. वाहन चालक विनम्र हो एवं भ्रमण के दौरान किसी प्रकार के नशीले प्रदार्थ का सेवन नहीं करेगा ।
21. निविदादाता को जिला मुख्यालय/ पंचायत समिति स्तर पर बसे वाहन उपलब्ध कराना होगा। भ्रमण का प्रस्थान एवं समाप्ति स्थल पंचायत समिति/जिला मुख्यालय होगा। भुगतान हेतु किलोमीटर की गणना प्रस्थान स्थान से शुरू होगी तथा पुन आगमन उसी स्थान पर समाप्ति तक किलोमीटर की गणना होगी । तदनुसार भुगतान किया जावेगा, अन्य स्थान से वाहन रवाना होने या पहुंचने की गणना किसी भी स्थिति में नहीं होगी ।
22. वाहन का भुगतान संचालित वाहन की लॉग बुक शीट भरकर यात्रा के प्रभारी अधिकारी/कर्मचारी से प्रमाणित करानी होगी उसके पश्चात ही भुगतान किया जावेगा । बिना प्रमाणित लॉग शिट का भुगतान नहीं किया जावेगा ।
23. भ्रमण के लिए जिला मुख्यालय/ पंचायत समिति मुख्यालय से रवाना होकर रास्ते आने वाले ग्राम पंचायत स्तर से कृषकों को समलित करते हुए प्रस्तान करेगी । पंचायत समिति मुख्यालय से रवाना होते समय जिस प्रकार रास्ते में ग्राम स्तर से किसानों को समलित किया जावे उसी प्रकार पुन आगमन पर उसी स्थान पर किसानों को उतारा जावे ।

24. प्रस्थान की दिनांक एव समय से आपको अवगत कराया जावेगा इसके संबंध में अधिक जानकारी यात्रा के दौरान अधिकारी प्रभारी कृषि अधिकारी / सहायक कृषि अधिकारी / कृषि पर्यवेक्षक से प्राप्त की जा सकेगी जिसके नाम एव मोबाईल नम्बर सहित सूचि उपलब्ध कराई जावेगी ।
25. रास्ते में वाहन खराब हो जाने वाहन चालक द्वारा वाहन आगे नहीं ले जाने पर प्रभारी अधिकारी द्वारा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने पर उस पर होने वाले वास्तविक समस्त व्यय की वसूली निविदादाता को देय भुगतान में से कटौती की जावेगी ।
26. जिला स्तर व पंचायत समिति मुख्यालय से प्रस्थान एव आगमन तक वाहन के साथ नियुक्त अधिकारी प्रभारी के दिशा निर्देशानुसार कार्य करना होगा , उनके द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करनी होगी ।
27. किराये पर लिये जाने वाले वाहनो की संख्या में आवश्यकता के अनुसार मांग में परिवर्तन किया जा सकता है ।
28. निविदादाता को कृषक भ्रमण यात्रा के दौरान निम्न मूल दस्तावेज वाहन के साथ में आवश्यक रूप से रखने होंगे ।

1. वाहन का पंजियन प्रमाण पत्र
2. वाहन चालक का वैध अनुज्ञापत्र (लाईसेंस) ।
3. वाहन का कर चुकता प्रमाण पत्र ।
4. वाहन का वैध फिटनेस प्रमाण पत्र ।
5. वाहन का वैध बीमा संबंधी प्रमाण पत्र ।
6. वाहन का प्रदूषण रहित होने का प्रमाण पत्र ।

निविदादाता / बोलीदाता के हस्ताक्षर